ईएसआई हैल्थ केयर का नाश करने का बीड़ा उठा रखा है

मेडिकल कमिश्नर कटारिया है अड़ंगा मास्टर

फ़रीदाबाद (म.मो.) दिल्ली स्थित ईएसआईसी मुख्यालय, पंचदीप भवन में बतौर मेडिकल कमिश्नर तैनात है आर के कटारिया। ईएसआई कार्पोरेशन के मुखिया तो बेशक एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी बतौर डीजी होते हैं; परन्तु उनके नीचे के पायदान पर तमाम अस्पतालों का पूरा प्रशासनिक जिम्मा मेडिकल कमिश्नर कटारिया के पास होता है।

कहां अस्पताल बनेगा, कहां नहीं बनेगा, कितना स्टाफ़ रखना है, कितना साजो-सामान एवं उपकरण आदि खरीदना है, देश भर में किस डॉक्टर को कहा तैनात करना है, किन व्यापारिक अस्पतालों को मरीज़ रेफ़र होने हैं आदि-आदि सब मेडिकल कमिश्नर के अधिकार में होता है। इसके अलावा डीजी तो कोई 2-4 साल के लिये ही तैनात होकर आता है जबकि कटारिया जैसे इस कार्यालय में स्थाई जड़ जमाये बैठे हैं। मुख्यालय में पुराने एवं वरिष्ठ होने के नाते डीजी भी इन्हीं लोग़ों की बात को ही मान कर चलते रहते हैं। बहुत सी बातें तो ये लोग डीजी तक पहुंचने ही नहीं देते।

स्थानीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल के रास्ते में ये जितने रोड़े अटका सकते थे, जमकर अटकाये। इन्होंने अपने जैसों का पूरा गिरोह बनाकर पुरज़ोर प्रयास किया कि मेडिकल कॉलेज न चले। अन्त में यह प्रयास किया कि 2015 में तो कम से कम न ही चले। लेकिन डीजी के पद पर अचानक दीपक कुमार तैनात हो गये। इस पद पर तैनाती से पहले भी वे ईएसआईसी से जुड़े थे इसलिये उन्हें इस बाबत सारा ज्ञान था। उन्होंने मेडिकल कॉलेज को 2015 में ही चलाने की ठान ली। इसके लिये वे सुप्रीम कोर्ट तक भी गये और कॉलेज को चलवाया।

मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के चलते काम में रोड़े अटकाने के लिये कटारिया ने डॉ. गौतम को नौएडा से यहां का मेडिकल सुपरिटेंडेंट बनाकर भेज दिया। करीब दो साल तक गौतम ने कटारिया गिरोह के इशारों पर नाचते हुए हर तरह से संस्थान को खराब करने का प्रयास किया। जब गौतम ने हाथ खड़े कर दिये तो उन्हें डीएमएस बना दिया और डॉ. जैन को एमएस बना कर यहां बैठा दिया। लेकिन डॉ. जैन को बहुत जल्दी समझ आ गई कि कटारिया गिरोह के इशारे पर चलना खतरे से खाली नहीं है। इसी दौरान डीजी को भी काफ़ी कुछ समझ आ चुका था। उन्होंने मेडिकल सुपरिटेंडेंट की तमाम वित्तीय शक्तियां डीन को दे दी। कटारिया ने साल पूरा होते-होते ये शक्तियां फ़िर मेडिकल सुपरिटेंडेंट को दिला दीं। लेकिन मौजूदा डीजी राजकुमार ने मेडिकल कॉलेज की ही नहीं कटारिया गिरोह के भी पर कतरते हुए देश भर के तमाम मेडिकल कॉलेज के डीन साहेबान की शक्तियां और बढा दी। इतना ही नहीं डीजी ने तमाम डीन से सीधे राप्ता भी बना लिया। लगता है उन्हें कटारिया की कारसतानियों का काफ़ी अन्दाज़ा हो चुका है।

प्रतिनियुक्ति के मामले में डीजी को मिसगाइड किया

मेडिकल कॉलेज बनाने के लिये ईएसआई कार्पोरेशन ने जब एनएच-3 के अस्पताल का अधिग्रहण किया तो लगभग सारे स्टाफ़ को भी ले लिया था। उस वक्त कार्पोरेशन ने स्टाफ़ से कहा था कि जो लोग कार्पोरेशन में समाहित होना चाहते हैं वे अपनी इच्छा प्रकट करें और हरियाणा सरकार से अनापत्ति लायें। दिसम्बर 2016 में हरियाणा सरकार ने अनापत्ति जारी कर दी तो कटारिया गिरोह उसे दबा कर बैठ गया। इससे अध-बीच लटके स्टाफ़ को काफ़ी परेशानियां हुई।

अभी पिछले दिनों कुछ डॉक्टर इसी मामले को लेकर डीजी से मिले तो कटारिया ने उन्हें मिसगाइड करते हुए कहा कि ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। इसके अलावा कार्पोरेशन में समाहित होने वाले स्टाफ़ कोर्ट केस आदि करके तंग करेंगे। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी पुराने स्टाफ़ की बदौलत, कटारिया की तमाम बेहूदगियों के बावजूद चलता रह सका यह अस्पताल और एमसीआई की शर्तें एवं मानकों को पूरा किया गया।

कटारिया ने न कभी स्टाफ़ पूरा होने दिया न उपकरण

जातीय एवं राजनीतिक तिकड़मबाज़ी के बल पर एक साथ दो पदोन्नतियां पाकर कटारिया अपने कई वरिष्ठ अफ़सरों से वरिष्ठ होकर उनके सिर पर जा बैठे। इस तिकड़म में इनके भाई के ससुर फूल चंद मुलाना जो हरियाणा कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं, का प्रभाव अति महत्वपूर्ण रहा है। बैठ गये सो बैठ गये परन्तु बैठने के बाद कोई काम तो ढंग का कर लेते, परन्तु लगता है इन्होंने, कसम खा रखी है कि कोई ढंग का काम करना ही नहीं। खासकर अंशदाता मज़दूरों के हक में तो कुछ भी होने ही नही देना।

तमाम स्टाफ़ की भर्ती तथा 25 लाख से अधिक कीमत के उपकरणों की खरीद का निर्णय एवं प्रक्रिया का अधिकार कटारिया के पास है। इसके चलते न तो कभी स्टाफ़ की कमी पूरी हुई और न ही उपकरणों की। भर्ती के लिये पद विज्ञापित करना, उनके साक्षात्कार व नियुक्ति पत्रों को महीनो लटका-लटका कर परेशानियां पैदा करना इनका शौक रहा है। इसी तरह उपकरणों की खरीद के लिये टेंडर निकालने में भी ऐसी ड्रामेबाज़ी ये साहब करते आये हैं कि अस्पताल को चलाने की इच्छुक फ़ेकल्टी एवं डॉक्टर रो-पीट कर रह लेते थे परन्तु ढीठ कटारिया की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता था।

मौजूदा डीजी राजकुमार ने इन सब बातों को भांप लिया लगता है। जानकार बताते हैं कि डीजी ने स्पष्ट कह दिया है कि या तो कटारिया जैसे वरिष्ठ लोग ढंग से काम कर लें वरना नये एवं कनिष्ठों को काम पर लगा दिया जायेगा। दरअसल डीजी की नज़र उस एक हज़ार करोड़ के बिलों पर पड़ गयी जो ईएसआई कार्पोरेशन प्रति वर्ष व्यापारिक अस्पतालों को रेफरल केसों पर अदा करता आ रहा है। करीब सौ करोड़ की ऐसी पेमेंट तो अकेले एनसीआर यानी दिल्ली के आस-पास के क्षेत्र में ही हो जाती है। डीजी ने इसी बात को समझ लिया कि जब वे इतनी भारी-भरकम पेमेंट चिकित्सा व्यापारियों को करते हैं तो इतनी बल्कि इससे भी कम लागत में तो ये सारे इलाज कार्पोरेशन के अपने अस्पतालों में भी तो किये जा सकते हैं। बात तो ठीक समझ में आ गयी परन्तु व्यापारिक अस्पतालों से जो कमीशन की मोटी रकम कटारिया गिरोह को मिलती थी उसका क्या होगा?

डॉक्टरों को कैसे तंग करता है कटारिया

दिल्ली के बसई दारापुर स्थित ईएसआईसी के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में तैनात डॉक्टर संगीता नारंग कम्युनिटी मेडिसिन की विशेषज्ञ थी। वे फ़रीदाबाद के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अपना तबादला कराना चाहती थी। एमसीआई मानकों के अनुसार यहां के अस्पताल को उनकी सख्त जरूरत भी थी। लेकिन कटारिया ने तो कसम खा रखी है कि कोई ढंग का काम करना ही नहीं। लिहाजा डॉ. संगीता को वहां त्यागपत्र तथा एक माह का वेतन देकर अपना पीछा छुड़ाना पड़ा। उसके बाद यहां ठेके पर नौकरी शुरू करनी पड़ी।

इसके बरक्स लुधियाना के ईएसआईसी अस्पताल में डॉ. भंडारा बतौर मेडिकल सुपरिटेंडेंट तैनात थे। उनकी लगभग सारी नौकरी एनसीआर की ही रही है। इस लिये वह किसी भी कीमत पर वापस दिल्ली के निकट आना चाहते थे। इसके लिये उन्होंने थोड़ी ड्रामेबाज़ी करके लुधियाना के विधायक से पंगा लिया, शिकायत मुख्यालय पहुंची तो कटारिया ने अपने सजातीय भाई डॉ. भंडारा का तबादला नौयडा का कर दिया। इसके लिये नौयडा में पहले से बतौर डीएमएस डॉ. जैन को फ़रीदाबाद में बतौर साधारण डॉक्टर नियुक्त कर दिया जबकि डॉ. जैन यहां पहले से बतौर डीएमएस नियुक्त बैठी डॉ. निशा रजानी से वरिष्ठ हैं। परन्तु कटारिया को औरों की वरिष्ठता एवं कनिष्ठता से क्या लेना-देना, उन्होंने तो अपने बिरादरी भाई भंडारा को ठीक-ठिकाने बैठाना था सो बैठा दिया, बाकी सब जैसे मर्जी चले न चले।

ईएसआई के अंशदाताओं की खुशकिस्मती ही समझो कि महानिकम्मे व नालायक डीजी अनिल अग्रवाल के बाद दो डीजी (दीपक कुमार व राजकुमार) लगातार बढिया मिले हैं। इन्होंने कटारिया गिरोह की नकारात्मक ताकत को बहुत हद तक कुंद करके रखा है। परन्तु इसके बावजूद अपनी फ़ितरत के मुतरबिक जब भी, जहां भी कटारिया को मौका मिलता है, अपना रंग दिखाये बगैर नही रहता।

पिछले दिनों डीजी ने आदेश जारी किया कि ठेके पर लगे तमाम सेवा निवृत डॉक्टरों को उनकी पेंशन काटे बगैर पूरा वेतन दिया जायेगा। यहां कटारिया ने अपनी ठुंगी मारते हुए इस आदेश को केवल नये तैनात होने वालों के लिये लागू कर दिया। यानी जो पहले से तैनात हैं उनकी तो पेंशन कटेगी और नवनियुक्त होने वालों की नहीं कटेगी। है ना अक्ल से दुश्मनी वाली बात! भला कौन डॉक्टर अपनी पेंशन कटने देगा? लिहाजा ऐसे सभी डॉक्टरों ने त्यागपत्र दिया तथा दोबारा नियुक्ति पाई। जाहिर है दोबारा से साक्षात्कार एवं भर्ती प्रक्रिया चलाई गयी जिसके फ़लस्वरूप फ़िजूल का दफ़्तरी काम बढ गया, सैंकड़ों कागज़ काले किये गये।

सरकारी भर्तियों में संघी भ्रष्टाचार का ज़हर ऊपर से नीचे तक

हरियाणा में जो गिरफ़्तार हुए हैं, वे केवल संघी सुशासन सहयोगी, छोटे मुलाज़म और दलाल हैं। पुनीत सैनी, बलवानसिंह, - पहला एचएसएससी चैयरमैन का तो दूसरा उसके एक मेम्बर का अघोषित मगर सर्वज्ञात टाउट, रोहताश शर्मा, - कमीशन के सैक्रेटरी का कथित रिश्तेदार, सुभाष पाराशर, - कमीशन में एक अधीक्षक जिसके स्वयं के बेटा-बेटी आपराधिक तरीक़े से (मैरिटवाले / टॉपर!) नौकरी में घुसे हैं।

सैनी भाजपा के राष्ट्रीय मुख्यालय जहाँ अमित शाह विराजते हैं, के रास्ते से आया हुआ/भेजा हुआ एक पिस्सू निकला। आइटी सैल का फिक्स्चर। इसी कमीशन में "आउटसौर्सिंग" की नीति के तहत अपनी घुसपैठ बनाये हुए। कोई दो बरस से। इतने बड़े-बड़े गफ़्फ़े मारते हैं और ऐसे मोटे-मोटे हाथ लगते हैं कि "तनख़्वाह" लेना तक भूले हुए हैं। ऐसे "निस्वार्थ" और गोपनीय ऑपरेटिव मामूली से मामूली जगह दख़ल बनाकर ढाँचे का पूरा-पूरा ख़ून चूस रहे हैं। इनके आका भी। जोंकों और पिस्सुओं की फ़ेहरिश्त बहुत लम्बी है। ये विषैली अमरबेलें अब किस विभाग में नहीं हैं! उनकी करतूतों को दर्ज़ करने लगेंगे तो अनेक जिल्दें भर जायेंगीं। ....और अधिक भीतर तक देखा जाय नौकरियों में भ्रष्टाचार का आरक्षण ख़तम करो।

- प्रदीप कासनी

ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज के बच्चों ने फ़िर बाज़ी मारी

फ़रीदाबाद (म.मो.) कार्पोरेशन के एनएच-3 स्थित मेडिकल कॉलेज के मेडिकल सकेंड (2015-16 बैच) के विद्यार्थियों ने इस वर्ष हुई युनिवर्सिटी परीक्षाओं में बाज़ी मार कर अपना ही गत वर्ष का रिकार्ड तोड़ दिया।

हरियाणा भर के तमाम मेडिकल कॉलेजों के मुकाबले यहां के छात्रों का परिणाम सबसे बेहतरीन रहा। पहले 10 स्थानों में 6 स्थानों पर तो उन्होंने कब्ज़ा किया ही साथ में प्रथम स्थान भी यहां की छात्रा हरप्रीत कौर ने प्राप्त किया। द्वितीय स्थान पर आये रोहतक मेडिकल कॉलेज के छात्र को इन्होंने 13 अंकों से पछाड़ कर प्रथम स्थान ग्रहण किया। गत वर्ष की परीक्षा मे हरप्रीत द्वितीय स्थान पर रही थी। इस बार और अधिक मेहनत करके प्रथम स्थान प्राप्त किया। वे फ़ेसबुक तथा व्हाट्सेप पर समय बर्बाद न करके सारा समय अपनी पढाई पर लगाती हैं।

युनिवर्सिटी में चौथा स्थान प्राप्त किया आकांक्षा ने, पांचवां शालू ने तो छठे स्थान पर हिमानी। सातवें पायदान पर आदित्य तो आठवें नम्बर पर रही निधि। सुधी पाठक नाम पढ कर ही समझ गये होंगे कि ऊपर के इन 6 स्थान पाने वालों में 5 बेटियां हैं। अपनी इस सफ़लता से बेटियों ने सिद्ध कर दिया कि मौका मिले तो वे क्या नहीं कर सकती। बिना किसी सिफ़ारिश के, केवल अपनी योग्यता के आधार पर प्रवेश परीक्षा पास करके इस मेडिकल कॉलेज में दाखिला प्राप्त करने वालों में से 55 प्रतिशत बेटियां हैं।

नये-नये खुले इस कॉलेज का कुल परिणाम भी 98 प्रतिशत है। विदित है कि हरियाणा के सबसे पुराने मेडिकल कॉलेज रोहतक, अग्रेहा, नूंह, खानपुर तथा अन्य प्राइवेट कॉलेज इस कॉलेज से बहुत पीछे रह गये हैं।

इसका श्रेय बच्चों की मेहनत को तो जाता ही है लेकिन इनकी मेहनत को सही दिशा एवं प्रोत्साहन देकर कामयाब करने में पूरी फ़ेकल्टी एवं डीन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

एमसीआई का आदेश, तीन वर्ष पुराने मेडिकल कॉलेज में स्नातकोत्तर पढाई जरूरी

दिल्ली (म.मो.) मेडिकल काऊंसिल ऑफ़ इंडिया ने देश भर के तीन वर्ष पुराने मेडिकल कॉलेजों के लिये आदेश जारी किया है कि वे अपने यहां एमबीबीएस के बाद की पढाई यानी एमडी व आदि, की व्यवस्था तुरंत प्रभाव से करें, अन्यथा उन्हें एमबीबीएस का आगामी सत्र चलाने की स्वीकृति नहीं मिलेगी। यह वास्तव में ही बहुत अच्छा फ़ैसला है। इससे देश में चल रही विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी दूर होगी और मरीज़ों को बेहतर चिकित्सा उपलब्ध हो पायेगी।

विदित है कि जहां स्नातकोत्तर की पढाई की सुविधा होती है उस संस्थान में श्रेष्ठतम विशेषज्ञ डॉक्टर तो टिकते ही हैं, सीनियर व जूनियर रेज़िडेंट डॉक्टर भी टिके रहते हैं। अभी फ़रीदाबाद के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर कतई टिक कर राज़ी नहीं हैं। अपनी इस तैनाती के दौरान वे विशेषज्ञ डॉक्टरों की शागिर्दी में अधिकतम काम करके अपनी श्रेष्ठता को बढाना चाहते हैं। इसके लिये वे 18-18 घंटों तक भी काम करते हैं। परन्तु जहां काम ही न हो और केवल रेफ़रल फ़ार्म ही भरने हों तो वहां कौन रेजिडेंट ठहरेगा?

फरीदाबाद के एमसी में स्नातकोत्तर की पढ़ाई के लिए बेहतरीन इन्फ्रास्ट्रक्चर मौजूद हैं केवल कुछ वरिष्ठ प्रोफेसर डाक्टरों की भर्ती करना है यदि मैडिकल कमिश्नर कटारिया अपनी फितरत के मुताबिक अड़ंगेबाजी न करे तो यहां यह पढ़ाई तुरन्त शुरू की जा सकती है।

पंचतारा डिलाइट को लेकर एनजीटी का नाटक शुरू, होटल मालिक निश्चिंत

फ़रीदाबाद (म.मो.) पर्यावरण एवं वन विभाग, एनजीटी तथा सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों को धता बताकर पंचतारा होटल के निर्माण का मामला 3 अप्रैल को दिल्ली स्थित एनजीटी (नेशनल ग्रीन ट्रब्यूनल) के सामने पेश हुआ। होटल मालिक बंटी के पास एनजीटी में पेश करने को कोई दस्तावेज नहीं था, फ़िर भी वह पूरी तरह निश्चिंत नज़र आ रहा था। उन्होंने निर्माण कार्य को न रोके जाने की मांग करते हुए दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिये एक लम्बी तारीख मांगी। एनजीटी ने उनकी दोनों मांगे ठुकरा दी। तीन दिन के भीतर वे अपने दस्तावेज एनजीटी में जमा करायेंगे तथा उनकी प्रतियां याची वरूण श्योकंद को भी देंगे। सुनवाई की अगली तारीख 12 अप्रैल दी गयी, तब तक निर्माण कार्य बंद रहेगा।

समझ नहीं आता कि एनजीटी यह सब नौटंकी क्यों कर रहा है? यह तो वही बात हो रही है कि दो और दो होते तो चार हैं परन्तु सिद्ध करके बताओ कि चार ही होते हैं, तीन या पांच नहीं होते। बड़ी सीधी सी बात है कि जब पर्यावरण एवं वन विभाग, एनजीटी व सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की पहाड़ियों में निर्माण कार्यों पर रोक लगाते हुए इसे संरक्षित वन क्षेत्र घोषित कर रखा है तो फ़िर यह तारीख पर तारीख लगाने की ड्रामेबाज़ी क्यों की जा रही है? क्यों दोनों ओर के वकीलों को धंधे पर लगा रखा है? क्यों नहीं अवैध निर्माण करने वाले तथा उसे न रोकने वाले जिम्मेदार अधिकारियों को अब तक हवालात में बंद किया? जाहिर है यहां किसी का लक्ष्य अरावली को बचाना नहीं बल्कि बचाने के नाम पर रिश्वतखोरी के भाव बढाना है।

सवाल यह भी महत्वपूर्ण है कि एनजीटी याची के रूप में वरूण श्योकंद को क्यों बार-बार तलब कर रहा है? यदि वरूण श्योकंद मामले से हट जाये तो क्या एनजीटी अथवा सरकार का अरावली के प्रति दायित्व समाप्त हो जाता है? पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के एक उच्चाधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि सरकार पर्यावरण एवं वन संरक्षण के कठोर कानूनों द्वारा ऐसे क्षेत्रों में निर्माण आदि पर नियंत्रण तो चाहती है लेकिन बिल्कुल बंद करना नहीं चाहती। राजनेता एवं अधिकारी कठोर कानूनों के नाम पर अच्छी-खासी वसूली करके अपने चहेतों के निर्माणों का चोर रास्ता रखते ही है।